



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-398/2022

दिनांक- 02-दिसम्बर-2022

## प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर क्षेत्र में प्रधानाध्यापक को गोली मारकर हुयी हत्या में नामजद अभियुक्त मेवालाल गिरफ्तार; 10 से अधिक मुकदमें दर्ज ।

➡दिनांक- 01.12.2022 को पुलिस को सूचना मिली कि थाना जीयनपुर के बाईपास के पास से जा रहे प्रधानाध्यापक संजय यादव को 02 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। ईलाज के दौरान प्रधानाध्यापक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात करके उन्हें मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया गया।

➡वादी श्री शैलेश यादव पुत्र राजबली यादव निवासी गोडइतपट्टी थाना जीयनपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-719/22 धारा 302/504/506 भादवि व धारा 7 दंडविधि (द्वितीय संशोधन) अनिनियम, 1983 बनाम 1. मेवालाल यादव पुत्र स्व0 देवनरायण यादव, 2. विरेन्द्र यादव उर्फ डबलू यादव पुत्र मेवालाल यादव, 3. बृजेश दव पुत्र मेवालाल यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

➡आज दिनांक- 02.12.2022 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मेवालाल यादव पुत्र स्व0 देवनरायण यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहा के पास से समय लगभग 20.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-719/22 धारा 302/504/506 भादवि व धारा 7 दंडविधि (द्वितीय संशोधन) अनिनियम, 1983 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 674/22 धारा 34/323/452/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 340/22 धारा 34/352/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0- 253/21 धारा 323/308/325/504 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0- 212/2020 धारा 504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0- 253/2017 धारा 419/420/447/511/504/506/386 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0- 07/2016 धारा 323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
7. मु0अ0सं0- 75/2015 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
8. मु0अ0सं0- 180/2014 धारा 143/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
9. मु0अ0सं0- 242/1999 धारा 324/308 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
10. मु0अ0सं0- 42ए/1997 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मेवालाल यादव पुत्र स्व0 देवनरायण यादव निवासी कसड़ा आईमा थाना जीयनपुर आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।

थाना – मुबारकपुर

## अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.12.2022 को प्र0चौकी कस्बा मुबारकपुर राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा रसूलपुर व्यौहरा (खौरा) में सिकठी पोखरे के पास अभियुक्त फरजान अहमद पुत्र हाजी असरार निवासी ग्राम हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 0.303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर की बरामदगी की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 376/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

फरमान अहमद पुत्र हाजी असरार नि0 मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर आजमगढ़

### बरामदगी:-

अभियुक्त फरमान अहमद पुत्र हाजी असरार निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर की बरामदगी की गई।

### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 376/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 209/2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुबारकपुर
2. मु0अ0सं0 262/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 263/2021 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 376/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

## थाना कन्धरापुर

### लड़की को बहला-फूलाकर भगा ले जाने वाला गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 08.11.22 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त रामअवतार उपरोक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 285/2022 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- दि0 25.11.2022 को उ0नि0 जाफर खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामअवतार निषाद पुत्र लालमुनी निषाद निवासी ग्राम सेहदा, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ को भवरनाथ चौराहे से आज दिनांक 02.12.2022 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त व कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत में लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1- रामअवतार निषाद पुत्र लालमुनी निषाद निवासी ग्राम सेहदा थाना कन्धरापुर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 285/2022 धारा 363/366 भादवि थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जाफर खां मय हमराह थाना कंधरापुर, आजमगढ़।

## लूट व छिनैती की घटना का सफल अनावरण; अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – दिनांक- 01.12.2022 को वादी अनिल पुत्र अरविन्द निवासी देवारा थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक-30.11.2022 को समय 20.00 बजे बाइक सवार अज्ञात तीन बदमाशों द्वारा वादी का चेन छिनने का प्रयास किया गया जिससे चेक टूट कर गिर गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 449/22 धारा 393 भादविं बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 01.12.22 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अनिल यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी जमालपुर थाना महाराजगंज जमपद आजमगढ़ 2. सुग्रीव निषाद पुत्र ज्योति लाल निवासी गोपालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक-एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद तथा अभियुक्त 3.अवनीश यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव निवासी जमालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को भीलमपुर पुलिया के पास समय 21.30 बजे हिरासत में लिया गया।

### 3. पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 450/22 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 451/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 449/22 धारा 393 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त –

1.अनिल यादव पुत्र सूर्यभान यादव निवासी जमालपुर थाना महाराजगंज जमपद आजमगढ़

2. सुग्रीव निषाद पुत्र ज्योति लाल निवासी गोपालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

3.अवनीश यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव निवासी जमालपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

02 तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

## पुलिस अधीक्षक ने थाना गम्भीरपुर का किया वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 02.12.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना गम्भीरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये-

➡थाना परिसर की साफ-सफाई संतोष जनक न होने पर 01 सप्ताह के अन्दर कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देश।

➡थाना परिसर से बनी जल निकास नालियों व चेम्बर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

➡थाना परिसर में अपराध शिर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡बैरकों का निरीक्षण किया गया तथा क्षतिग्रस्त खिड़कियों का मरम्मत करायी जाय।

➡मेस में भोजन बनाने वाले लोग स्वयं साफ सफाई रखें। मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन तैयार हो। साग-सब्जियों व आदि राशन को व्यवस्थित तरिके से रेक में रखना सुनिश्चित करें।

➡विभागीय अनुशासन के अनुरूप बाल की कटिंग रखें।

➡शास्त्र चालन के सम्बन्ध उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी गणों से जानकारी ली तथा उनको बार-बार अभ्यास किये जाने का निर्देश।

➡कुर्की से सम्बन्धित माल, अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरान्त भी उसके माल लम्बित है, निर्देशित किया गया कि अविलम्ब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाय।

➡थाना कार्यालय में रखी आलमारी से अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

➡अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।